

सरेआम बस स्टैण्ड पर गोली मारने के 2 आरोपी गिरफ्तार



जयपुर 22 अगस्त। पुलिस अधीक्षक अलवर श्री राहुल प्रकाश ने आज जानकारी देते हुए बताया कि जिले में लगातार हो रहे अपराधों की रोकथाम एवं अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए जिले के सभी थानाधिकारियों को सख्त निर्देश दिये जाकर विशेष टीमों का गठन किया था। थाना बानसूर ने 22 अगस्त, 2017 को वृताधिकारी वृत्त बहरोड श्री परमाल सिंह के निर्देशन में थानाधिकारी मय जाप्ता द्वारा सरेआम बस स्टैण्ड पर गोली मारकर हत्या के आरोपी अश्वनी उर्फ गजनी पुत्र प्रदीप योगी जाति जोगी उम्र 21 साल निवासी पीपली थाना मुण्डावर तथा नरेन्द्र कुमार पुत्र सत्यवीर जाति यादव उम्र 23 साल निवासी कालूका थाना मुण्डावर को चतरपुरा इलाका थाना बानसूर से गिरफ्तार किया जाकर आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपियों पर 3000-3000/- रुपये का ईनाम घोषित है।

श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि 3 अगस्त, 2017 को रात्रि में 9 बजे मृतक प्रवीण रूडमल की परचूनी की दुकान से सामान लेकर घर वापिस जाने लगा तो मुण्डावर की तरफ से दो मोटरसाईकिल एक स्पैलन्डर प्लस जिसका नरेन्द्र पुत्र सतबीर जाति अहीर निवासी कालूका थाना मुण्डावर चला रहा था उसके पीछे माणक पुत्र रामसिंह योगी निवासी पिपली बैठा था तथा दूसरी मोटरसाईकिल को पंकज पुत्र रामसिंह जाति योगी निवासी पीपली चला रहा था जिसके पीछे अश्वनी पुत्र प्रदीप जाति योगी निवासी पीपली बैठा था दोनों मोटरसाईकिल मेरे भाई के नजदीक आकर रूकी तो माणक व अश्वनी मोटरसाईकिल से उतरे जिनके हाथों में कट्टा था और उतरते ही मेरे भाई प्रवीण पर माणक ने कट्टे से गोली चलायी जो जो मृतक प्रवीण के सीने में से होती हुई मुह पर कनपटी पर लगी मृतक मौके पर गिर गया इन लोगों को पकड़ने की कौशिश की तो ये लोग मोटरसाईकिल पर बैठकर सोडावास की तरफ भाग गये

उन्होंने बताया कि मृतक प्रवीण की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई धर्मवीर उर्फ सम्मी पुत्र पूर्णसिंह जाति जाट नि0 पीपली मेरे भाई दिली रजिंश रखता है जिसने 5-6 दिन पूर्व प्रवीण के घर पर आकर उसकी घरवाली कविता को धमकी देकर गया था कि वो प्रवीण को 5-6 दिन में जान से मरवा देगा धर्मवीर ने ही मेरे भाई की हत्या करवायी है।

राही/ सन्तरा/611/2017

नोट:- उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।